विविध बैंक प्रकरण संख्या 36/2024(GCMS : 2024/68) आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय :– आईआईएफएल हाऊस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड़ नं. 16 वी, प्लॉट नं. बी–23, थाणे इण्डस्ट्रीयल एरिया, वागले एस्टेट, थाणे – 400604, मुम्बाई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय– 4जी फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर (राज.) 302021 अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता श्री राजेन्द्र पराशर

बनाम

1. **श्रीमती सिमरजीत कौर पत्नी रेशम सिंह** निवासी 12 बीबी गंगानगर, गंगानगर, श्रीगंगानगर राजस्थान–335041 अन्य पता पट्टा नं. 35, बुक नं. 79, ग्राम 12 बीबी, पदमपुर, श्रीगंगानगर
2. **रेशम सिंह** पुत्र प्रताप सिंह निवासी 12 बीबी गंगानगर, गंगानगर, श्रीगंगानगर राजस्थान–335041 अन्य पता पट्टा नं. 35, बुक नं. 79, ग्राम 12 बीबी, पदमपुर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.06.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता प्रताप सिंह शेखावत ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सिमरजीत कौर एवं रेशम सिंह को ऋण सुविधा के रूप में राशि 4,25,120/– रूपये के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 31.03.2023 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी रेशम सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 35, बुक नं. 79 कुल एरिया 2000 वर्गफीट ग्राम 12 बीबी पदमपुर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335022** का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में इस न्यायालय में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने, उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 05.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सिमरजीत कौर एवं रेशम सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रेशम सिंह की **सम्पत्ति अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 35, बुक नं. 79 कुल एरिया 2000 वर्गफीट ग्राम 12 बीबी पदमपुर, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335022,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में इस न्यायालय में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.आई.एफ.एल. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर